दिनांक 04.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 04/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा छठ पर्व के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को त्यौहार छठ पर्व के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गये :-

- छठ पर्व के अवसर पर घाटों/पूजा स्थलों, नदियों/तालाबों/जलाशयों पर महिलाओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पुरूष एवं बच्चे आदि एकत्रित होते है, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यिूटी लगायी जाय तथा प्रकाश/साफ-सफाई, गोताखोरों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- सार्वजनिक/भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सादे वस्त्रों में महिला/पुरूष पुलिस कर्मियों की डियूटी लगायी जाये तथा एण्टी रोमियो स्क्वायड को सक्रिय रखा जाये।
- पर्व के दौरान प्रमुख घाटों पर लोग पटाखे इत्यादि भी छुड़ाते है, सुरक्षा के दृष्टिगत अग्नि शमन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- छठ पर्व के अवसर पर काफी संख्या में लोगों का ट्रेन व बसों के माध्यम से आवागमन रहता है, जिसके दृष्टिगत इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में पूर्व से ही कार्य योजना तैयार कर ली जाये तथा रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किये जाये।

- सार्वजनिक जगहों तथा भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग की जाये तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया जाये, जिससे कि आम जनमानस में पुलिस की सक्रियता परिलक्षित हो।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क रखा जाय तथा असामाजिक एवं अवॉछनीय तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाय एवं अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मो की सघन मॉनीटरिंग की जाय तथा किसी भी प्रकार के आपत्ति जनक/भ्रामक पोस्टों का तत्काल संज्ञान लेते हुये उनका खण्डन कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

दिनांक 04.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 05/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के निधन के परिपेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 04.11.2024 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री सुबेश कुमार सिंह (आईपीएस–1984) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के दिनांकः 29.10.2024 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

श्री सुबेश कुमार सिंह का जन्म 03 जनवरी 1956 को भागलपुर (बिहार) में हुआ था। श्री सुबेश कुमार सिंह वर्ष 1984 में "भारतीय पुलिस सेवा" में चयनित हुए। प्रशिक्षण के उपरान्त श्री सुबेश कुमार सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी, पुलिस अधीक्षक जनपद पिथौरागढ़, मऊ, जौनपुर, देहरादून, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, सेनानायक 09वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 11 वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर, 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फैजाबाद, गोरखपुर, फतेहगढ़, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2000 में "पुलिस उप महानिरीक्षक" के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस 'उप महानिरीक्षक' सहारनपुर परिक्षेत्र, अभिसूचना लखनऊ एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ०प्र० के पद पर नियुक्त रहते हुये वर्ष 2002 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान किये। वर्ष 2010 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के पश्चात 'पुलिस महानिरीक्षक' इलाहाबाद परिक्षेत्र, लखनऊ परिक्षेत्र, एसटीएफ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2011 में "अपर पुलिस महानिदेशक" के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून–व्यवस्था उ०प्र०, प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० के पदों पर नियुक्त रहे।

वर्ष 2015 में "पुलिस महानिदेशक" के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० के पद पर नियुक्त रहते हुये जनवरी 2016 में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये। श्री सुबेश कुमार सिंह का निधन दिनांकः 29.10.2024 की रात्रि को हो गया।

श्री सुबेश कुमार सिंह को गणतन्त्र दिवस–2003 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक, दिनांक 29.11.2007 को वीरता पदक, दिनांक 04.07.2008 को स्पेशल ड्यिूटी पदक, दिनांक 12.12.2008 को वीरता पदक, दिनांकः 11.02.2009 को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक एवं गणतन्त्र दिवस 2009 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।

दिनांक 04.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 06/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सोनभद्र/थाना ओबरा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 04.11.2024 को थाना ओबरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पटला टोला कनहरा मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कून्नूलाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना ओबरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ओबरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कून्नूलाल निवासी झरकटिया थाना चितरंगी, सिंगरौली जनपद सोनभद्र।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 ब्रेजा वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 03.11.2024 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम कछौली में पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–भूरा 2–शुहेब घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 3–यामीन 4–आसिफ सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 ब्रेजा वाहन आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त भूरा के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत के विभिन्न थानों पर चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त यामीन के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भूरा निवासी ईदगाह वाला खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

2–शुहेब निवासी ग्राम रूहासा थाना दौराला जनपद मेरठ।

3–यामीन निवासी खुशहाल नगर थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

4–आसिफ निवासी इत्तेफाक नगर गली नं0–03 थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 ब्रेजा वाहन आदि।

कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना खीरी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के लगभग 02 लाख 500 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 03.11.2024 को थाना खीरी, थाना कोरांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अरूवारी पुलिया के पास से अभियुक्त 1–अल्तमस

उर्फ कामिल 2–अविनाश कुमार उर्फ पप्पू 3–आशिक को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 02 लाख 500 रूपये नगद, चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना खीरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खीरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खीरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अल्तमस उर्फ कामिल निवासी ग्राम चन्द्रभान सिंह का पूरा थाना औद्योगिक क्षेत्र, प्रयागराज।

2–अविनाश कुमार उर्फ पप्पू निवासी ग्राम हथियन थाना घूरपुर, प्रयागराज।

3–आशिक निवासी ग्राम चन्द्रभान सिंह का पूरा थाना औद्योगिक क्षेत्र, प्रयागराज।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के लगभग 02 लाख 500 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

<u>कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना अरौल</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये कीमत के 03 कुन्तल 46 किग्रा अवैध गांजा**
- **01 कन्टेनर**
- **01 बोलेरो वाहन बरामद**

दिनॉकः 04.11.2024 को थाना अरौल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महादेवा क्रासिंग के पास से 04 अभियुक्तों 1–सुखविन्द्र

2–श्यामजी 3–बलजीत उर्फ सोनू 4–कुलविन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 35 लाख रूपये कीमत के 03 कुन्तल 46 किग्रा अवैध गांजा, 01 कन्टेनर, 01 बोलेरो वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अरौल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुखविन्द्र निवासी डी बीघर रोड़ वार्ड नं0–14 फतेहाबाद जनपद फतेहाबाद, हरियाणा।

2–श्यामजी निवासी औनहां थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

3–बलजीत उर्फ सोनू निवासी ग्राम तरनतारा चाटीविण्ड जनपद हरियाणा।

4–कुलविन्द्र निवासी ग्राम कटदादू गौरीवाडा थाना गौरीवाडा जनपद सिरसा, हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 35 लाख रूपये कीमत के 03 कुन्तल 46 किग्रा अवैध गांजा।

2–01 कन्टेनर।

3–01 बोलेरो वाहन।

जनपद चन्दौली/थाना बलुआ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 190 अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त डीसीएम वाहन बरामद**

दिनॉकः 04.11.2024 को थाना बलुआ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मजिहदां पुलिया पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–राजेन्द्र 2–शैलेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही

से लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 190 अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त डीसीएम वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बलुआ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेन्द्र निवासी ग्राम नगवा थाना भगवानपुर द्वारा जनपद सिवान, बिहार।

2–शैलेन्द्र निवासी पुणरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 190 अवैध अंग्रेजी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त डीसीएम वाहन।

- **जनपद संतकबीरनगर/थाना बेलहरकला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त इस्तियाक को धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————